न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2023	2023/2	10–01–2023	31–05–2023

01– रामेश्वरी यादव पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी रमेश जाति अहीर निवासी एफ–7/3 वी गली नम्बर 5 ईस्ट ज्योति नगर मण्डोली सबोली उत्तरी पूर्वी दिल्ली।
02– कमला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी दीनदयाल जाति अहीर निवासी नियर पुलिस लाईन थखाना मौहल्ला अलवर तहसील व जिला अलवर।
03– नीरज यादव पुत्र स्व0 भीमसिह,
04– रामेश्वर पुत्र स्व0 भीमसिंह (वारिसान स्व0 श्रीमति राधा पुत्री स्व0 रामचन्द्र) निवासी ग्राम धर्मपुरा धनजीवाना तहसील छाता जिला मथुरा– उत्तर प्रदेश।

–अपीलाण्टान

बनाम

01– नायब तहसीलदार कठुमर जिला अलवर (राज0)
02– कलावती पत्नी स्व0 जगमोहन,
03– जगवीर पुत्र स्व0 जगमोहन,
04– प्रीती पुत्री स्व0 जगमोहन,
05– अल्का पुत्री स्व0 जगमोहन,
06– कान्ता पुत्री स्व0 जगमोहन,
07– लक्ष्मी पुत्री स्व0 जगमोहन, निवासीयान ग्राम बिसली कठूमर जिला अलवर (राज0)

– रेस्पोडेण्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार कठूमर दिनांक 23.05.1998 नामान्तकरण संख्या 104 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर जिसके द्वारा मृतक रामचन्द्र की विरासत का नामान्तकरण बेजा तोर पर स्वीकार किया गया है।

उपस्थितः–
01–श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्ट
01–श्री रविन्द्र सिंह –वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 4
03–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 23.05.1998 नामान्तकरण संख्या 104 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अजीतपुरा तहसील कठूमर में स्थित है, रामचन्द्र का दिनाक 17.01.1998 को फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 104 नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनाक 23.05.1998 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पति/पिता जगमोहन के पक्ष में स्वीकार किया गया। विवादित नामान्तकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति के नाम गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनाक 23.05.1998 को स्वीकार किया गया है। मृतक के सभी वारिसान जिनमें अपीलाण्टान के नाम दर्ज नही किये, तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक रामचन्द्र के वारिसान की जॉच करनी चाहिये थी, जो नही की गयी है। मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा न0 284 रकबा 0.51 है0, खसरा न0 299 रकबा 0.34 है0, खसरा न0 301 रकबा 0.86 है0, कुल किता 3 रकबा 1.71 है0 में से 2/3 हिस्सा व अन्य वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर मिन अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 मृतक रामचन्द्र यादव की कानूनी व जायज पुत्रीया है एवं अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 मृतक राधा पुत्री रामचन्द्र यादव के कानूनी वारिसान है एवं मिन अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 की माता राधा मृतक रामचन्द्र यादव की कानूनी व जायज पुत्री है। इस प्रकार मिन अपीलाण्टान को मृतक रामचन्द्र यादव की आराजीयात में कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है, तथा मिन अपीलाण्टान के पिता/नाना रामचन्द्र का स्वर्गवास दिनाक 17.1.1998 को हो गया। जिनकी धर्म पत्नी रेशम देवी का स्वर्गवास वर्षो पूर्व हो चुका है, जिनके एक पुत्र जगमोहन व तीन पुत्रीया कमला, रामेश्वरी व राधा कुल चार वारिस हुये जिनमें से एक पुत्री राधा जो अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 की माता है, का स्वर्गवास हो चुका है, तथा मृतक रामचन्द्र के दत्तक पुत्र जगमोहन का स्वर्गवास भी दिनाक 5.3.2016 को हो गया है, जिनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 है, जो उनकी पत्नी के वच्चे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 का पिता/पति मृतक जगमोहन जो स्व0 रामचन्द्र का पुत्र था, अपने आपको रामचन्द्र का विधिक वारिस बताकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 104 स्वीकृत करा लिया गया जबकि मिन अपीलाण्टान रामचन्द्र के कानूनी व जायज वारिसान होने पर उनकी आराजी में अपीलाण्टान का भी हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मृतक रामचन्द्र की आराजी में अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा व अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति मृतक जगमोहन का 1/4 हिस्सा है। मिन अपीलाण्टान मृतक रामचन्द्र की अपीलाधीन आराजी पर भी मिन अपीलाण्टान का कब्जा व काश्त है, तथा मिन अपीलाण्टान ने हमेशा सही सोचा की रामचन्द्र की विरासत का नामान्तकरण कानूनी रूप से उनके नाम स्वीकृत दर्ज हो गया होगा तथा मिन अपीलाण्टान को अपीलाधीन नामान्तकरण की कोई जानकारी पूर्व में नही थी तथा मिन अपीलाण्टान दिनाक 28.12.2022 को अपने हिस्से की आराजी पर काश्त की देखभाल करने के लिये गये तो रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा मिन अपीलाण्टान के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की और झगडा फसाद किया और कहा कि इस आराजी से तुम्हारा कोई लेना देना नही है, यह आराजी हमारे नाम से चली आ रही है, जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनाक 30.12.2022 को प्राप्त हुई जिससे गलत नामान्तकरण की जानकारी हुई जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.05.1998 की जानकारी दिनाक 28.12.2022 से नकल प्राप्त करने की दिनाक 30.12.2022 तक व उसके बाद कानूनी सलाह व मशवरा करने में गुजरे समय को कन्ड्रोन किये जाने हेतु न्यायहित में न्यायोचित है, इस हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलाण्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.05.1998 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगयत 4 की ओर से अपनी बहस में निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 104 निर्णय दिनाक 23.05.1998 ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर निरस्त कर मृतक रामचन्द्र की आराजी में मिन अपीलाण्टान संख्या 1 व 2 का बहिस्से बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा व अपीलाण्टान संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेण्टान संख्या 2 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है कि अपीलाण्टान द्वारा 25 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गयी है, अपील पेश किये जाने में हुए विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नही किया गया है, जबकि विलम्ब के मामले में दिन प्रति–दिन का ब्यौरा देना होता है। तहत अदालत नायब तहसीलदार कठूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 104 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर विधिवत जॉच कर निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान/रेस्पोडेण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 104 निर्णय दिनांक 23.05.1998 वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 10.01.2023 को पेश की गयी है, जो 25 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.1998 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 30.12.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 104 निर्णय दिनाक 23.05.1998 ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर मृतक रामचन्द्र पुत्र किशन सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर में स्थित है, रामचन्द्र का दिनाक 17.01.1998 को फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनाक 23.05.1998 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पति/पिता जगमोहन के पक्ष में स्वीकार किया गया। विवादित नामान्तकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पिता/पति के नाम गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर स्वीकार किया गया है। मृतक के सभी वारिसान जिनमें अपीलाण्टान के नाम दर्ज नही किये गये है, तथा नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक रामचन्द्र के विधिक वारिसान की जॉच करनी चाहिये थी, जो नही की गयी है। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टान स्वीकार कर तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, नामान्तकरण संख्या 104 निर्णय दिनाक 23.05.1998 ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर के सबंध में विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करे। । पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)